न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :—18/2024

प्रार्थीः—

मदाराम उर्फ मदनलाल पुत्र नाथाराम जाति रबारी निवासी खण्डप तहसील समदडी जिला बालोतरा (राजस्थान)

बनाम

विप्रार्थीः—

1. ढलाराम पुत्र कानाराम जाति रबारी निवासी खण्डप तहसील समदडी जिला बालोतरा (राजस्थान)
2. धनाराम पुत्र विंजाराम जाति रबारी निवासी खण्डप तहसील समदडी जिला बालोतरा (राजस्थान)
3. नेमाराम पुत्र विंजाराम जाति रबारी निवासी खण्डप तहसील समदडी जिला बालोतरा (राजस्थान)
4. पेमाराम पुत्र सवाराम जाति रबारी निवासी खण्डप तहसील समदडी जिला बालोतरा (राजस्थान)
5. बादलीदेवी पत्नि नाथाराम जाति रबारी निवासी खण्डप तहसील समदडी जिला बालोतरा (राजस्थान)
6. कालु पत्नि विंजाराम जाति रबारी निवासी खण्डप तहसील समदडी जिला बालोतरा (राजस्थान)
7. लाखाराम पुत्र रूगनाथराम जाति रबारी निवासी खण्डप तहसील समदडी जिला बालोतरा (राजस्थान)
8. लालाराम पुत्र नाथाराम नाबालिग जरीये कुदरती वली माता दलीदेवी पत्नि नाथाराम जाति रबारी निवासी खण्डप तहसील समदडी जिला बालोतरा (राजस्थान)
9. वरजु पत्नि रूगनाथराम जाति रबारी निवासी खण्डप तहसील समदडी जिला बालोतरा (राजस्थान)
10. वसनाराम पुत्र केवाराम जाति रबारी निवासी खण्डप तहसील समदडी जिला बालोतरा (राजस्थान)
11. राजस्थान सरकार जरीये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

श्री कपिल श्रीमाली व गौतमसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:41:29 IST
Reason: SelfAttested

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 02.02.2026

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि के खसरा संख्या 1627, 1750/582, 203, 212, 216, 98 व 99 रकबा क्रमशः 3.1237, 0.3541, 1.1888, 2.6557, 1.4923, 0.5059 व 1.0497 हैक्टेयर भूमि ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

खण्डप तहसील समदडी में अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थी का नाम ''मदनलाल पुत्र नाथाराम'' दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात यथा जनआधार, दसवीं की अंकतालिका, आधार कार्ड, राशन कार्ड व बैंक डायरी में प्रार्थी का नाम वास्तविक नाम ''मदाराम पुत्र नाथाराम'' दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी का नाम का अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन जनआधार, दसवीं की अंकतालिका, आधार कार्ड, राशन कार्ड व बैंक डायरी आदि प्रस्तुत किये ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''मदाराम पुत्र नाथाराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि के खसरा संख्या 1627, 1750/582, 203, 212, 216, 98 व 99 रकबा क्रमशः 3.1237, 0.3541, 1.1888, 2.6557, 1.4923, 0.5059 व 1.0497 हैक्टेयर भूमि ग्राम खण्डप तहसील समदडी में प्रार्थी का नाम ''मदनलाल पुत्र नाथाराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के जनआधार, दसवीं की अंकतालिका, आधार कार्ड, राशन कार्ड व बैंक डायरी आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''मदाराम पुत्र नाथाराम'' दर्ज है, किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''मदनलाल पुत्र नाथाराम'' करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:41:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

वास्तविक नाम "मदाराम पुत्र नाथाराम" होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर के खसरा संख्या 1627, 1750/582, 203, 212, 216, 98 व 99 रकबा क्रमशः 3.1237, 0.3541, 1.1888, 2.6557, 1.4923, 0.5059 व 1.0497 हैक्टेयर भूमि ग्राम खण्डप तहसील समदडी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम "मदनलाल पुत्र नाथाराम" के स्थान पर "मदाराम उर्फ मदनलाल पुत्र नाथाराम" दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 02.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:41:29 IST
Reason: SelfAttested